न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 156/2020

1. उसमान गनी पुत्र इमामदीन जाति मुसलान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. अब्बदुल हक पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. अब्बदुल रहमान पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. अब्बदुल खलीफ पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता –– **वादी**
2. श्री शलेन्द्र नायक अधिवक्ता –– **प्रतिवादी सं. 1 ता 3**
3. राजपैरोकार तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा –– **प्रतिवादी सं. 4**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/05/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादीगण का पंजीकृत एंव प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 द्वारा जरिये बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता संख्या 58/58 के पत्थर नम्बर 48/366, 49/366 की कुल 3.896 हैक्टेयर भूमि पोकरदास पुत्र गोविन्द सिंह कौम अरोड़ा साकिन बड़ोपल से दिनांक 17.06.1977 को खरीद की है जो मुस्दका दिनांक 17.06.1977 को उपरजिस्ट्रार सूरतगढ़ द्वारा पंजीयनशुदा भारत सरकार दर्ज रिकार्ड थी।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने जब उक्त भूमि पोकरदास से खरीद की थी तब उक्त भूमि गैर खातेदारी थी परन्तु अब वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी सनद सैटलमेन्ट कम मैनेजिंग आफीसर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22.10.1973 को क्रमांक 9752/73 जारीशुदा है जिसमें चक 20 एसपीडी के पत्थर नम्बर 48/366 कुल 10.16 बीघा दर्ज है तथा पत्थर नम्बर 49/366 में 4.12 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। दौराने

30/05/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चकबन्दी उक्त चक 20 एसपीडी जो वर्तमान में चक 3 एलबीएम है जिसके वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड में पत्थर नम्बर 48/366, 49/366 दर्ज है।

वादीगण अपनी जरिये बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि पर खरीद के समय से ही शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त रकबे की खातेदारी सनद में पत्थर नम्बर 48/366 के दिनांक 22.10.1973 को मिल चुकी थी जिसमें सहवन से सनद में प0न0 48/366 के स्थान पर 48/368 दर्ज हो गया था जिस कारण खातेदारी का इन्तकाल नहीं हो सका। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के यहां उसमान गनी बनाम स्टेट प्रकरण प्रस्तुत हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2019 को निर्णय पारित कर प0न0 48/368 के स्थान पर प0न0 48/366 दर्ज करने के आदेश दिये गये है जिसके मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में ई0न0 181 खातेदारी दिनांक 18.05.2022 को दर्ज हो गया है।

अब वादी व प्रतिवादी सं. 1,2,3 मुताबिक बैयनामा दिनांक 17.06.1977 अनुसार उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसकी खातेदारी घोषणा वादी प्राप्त करने का हकदार है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 58/58 के प0न0 48/366, 49/366 की कुल 3.896 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी)पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.)432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

वकील वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में क्रयशुदा भूमि चक 3 एलबीएम के खाता सं. 58/58 प0न0 48/366(25) कि0न0 11ता20, 25/2/0.202 की 2.732है0 प0न0 49/366 कि0न0 8/2/0.152, 9ता12 की 1.164 है0 कुल तादादी 3.896 है0 भूमि पोकरदास पुत्र गोविन्दसिंह जाति अरोड़ा निवासी ओडकी से दिनांक 17.06.1977 को जरिए बैयनामा क्रय की। मूल दस्तावेज बैयनामा पेश किया। प्रदर्श करवाया

30.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गया। कब्जाकाश्त बाबत् तहरीरशुदा शपक्ष पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। किसी किस्म का कोई विवाद नहीं बताया गया है। भूमि के कब्जाकाश्त के संबन्ध में वादी व प्रतिवादी सं. । ता 3 के मध्य में भी कोई विवाद नहीं है। जरिए वाद क्रयशुदा भूमि जो कि वादी व प्रति संख्या । ता 3 के कब्जा काश्त में है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में ब.हि.ब.खातेदार घोषित करवाना चाहतें हैं।

–:: आदेश ::–

बहस एक पक्षीय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी के पास भूमि क्रय के मूल दस्तावेज मौजूद है जो अदालत में पेश किये गये और प्रदर्श करवाया गया। आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के प्रावधानों के तहत विक्रेता या उनके वारिसों की आपत्ति जरिए समाचार पत्र तलब की गई लेकिन गुजरने मियाद कोई भी सहीय व शरीक हाजिर नहीं आया और विवादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण पर आपत्ति व दावा पेश नहीं हुआ। हम इस निष्पर्क कर पहुचे हैं कि वाद में वर्णित भूमि चक 3 एलबीएम के खाता संख्या 58/58 प0न0 48/366(25) कि0न0 11 ता 20, 25/2/0.202 की 2.732 है0 प0न0 49/366 कि0न0 8/2/0.152, 9 ता 12 की 1.164 है0 कुल तादादी 3.896 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण की खरीद शुदा भूमि है और उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र और मूल दस्तावेज बैयनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 58/58 के प0न0 48/366, 49/366 की कुल 3.896 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

30/05/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 156/2020

1. उसमान गनी पुत्र इमामदीन जाति मुसलान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. अब्बदुल हक पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. अब्बदुल रहमान पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. अब्बदुल खलीफ पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान साकिन डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/05/2022

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री शलेन्द्र नायक, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 58/58 के प0न0 48/366, 49/366 की कुल 3.896 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा